न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी, जिला दूदू

पीठासीन अधिकारी :– श्री राकेश कुमार ॥ (आर.ए.एस.)
प्रार्थना पत्र संख्या :– 65 / 2024
निर्णय दिनांक :– 08.07.2024

1. नरपतसिंह पुत्र देवीसिंह जाति राजपूत आयु 56 वर्ष निवासी मोहनपुरा राजावतान तहसील फागी जिला जयपुर राज

प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर
2. ग्राम पंचायत किशोरपुरा तहसील फागी (नाम हजफ)

अप्रार्थीगण

उपस्थित विद्वान अधिवक्ता :– श्री विनय कुमार जैन वकील प्रार्थी

पैरोकार सरकार अप्रार्थी सं0 1

प्रार्थना पत्र बाबत किये जाने तरमीम

अन्तर्गत धारा 111, 128, 131, 136 एल.आर.एक्ट

एवं 89 रा0का0अधि0

निर्णय दिनांक: 08.07.2024

–: निर्णय :–

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 118 रकबा 0.3414 है० भूमि वाके ग्राम बाढरामचन्द्रपुरा तहसील फागी जिला जयपुर राज० में स्थित है। उक्त भूमि का प्रार्थी खातेदार काश्तकार है, काबिज है एवं लगान सरकारी अदा कर रहा है। ख.नं. 118 की आराजी प्रार्थी की पैतृक आराजी है, जिस पर प्रार्थी अपने बुजुर्गों के समय से काबिज होकर काश्त कर रहा है। प्रार्थी पूर्व से लेकर आज तक अपनी खातेदारी की आराजी ख.नं. 118 पर चारों ओर डोल लगाकर शान्तिपूर्वक काबिज काश्त है। प्रार्थी के खसरा नम्बर 118 के नजदीक ख.नं. 119 रकबा 0.1138 गै.मु. रास्ता की भूमि है। प्रार्थी के ख.नं. 118

लगातार.....2

उपखण्ड अधिकारी
फागी,जिला–दूदू

एवं 119 के मध्य पर्चा सेटलमेन्ट के समय से ही पुख्ता तरमीम हो रखी है। जिसकी पुष्टि राजस्व रिकॉर्ड एवं पुराने नक्शे से होती है। अभी हाल ही में राज्य सरकार द्वारा सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड को ऑनलाईन करने का एवं नक्शें को DILRMP के तहत तरमीम करने का अभियान चलाया गया जिसके तहत बिना खातदारों को सुने बिना एवं बिना उनकी उपस्थिति के राजस्व कर्मियों ने आराजी ख.नं. 118 एवं 119 के मध्य तरमीम को अनावश्यक रूप से छेडछाड करके गलत तरमीम कर दी गई। जो निम्न कारणों से दुरूस्त किये जाने योग्य है:– (1) उक्त तरमीम मौके की वास्तविक स्थिति के विपरित होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। (2) उक्त DILRMP योजना के तहत केवल उन खसरा नम्बरों में तरमीम करनी थी जिनके मध्य तरमीम नही हो रखी थी जबकि ख.नं. 118 एव 119 के मध्य पर्चा सेटलमेन्ट के समय से ही पुख्ता तरमीम हो रखी है जिसको उक्त DILRMP योजना के तहत बदलने के लिये पटवारी हल्का सक्षम ही नही था लेकिन इसके बावजूद भी मात्र प्रार्थी को हैरान परेशान करने के लिये उक्त पुख्ता तरमीम में परिवर्तन कर दिया जो दुरूस्त किये जाने योग्य है। ख.नं. 119 का मौके पर वर्तमान तरमीम के अनुसार किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है। उक्त तरमीम बिना रास्ते के की गई है, जो गलत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। नियमानुसार किसी भी खातेदार के राजस्व रिकॉर्ड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन करने से पूर्व उस व्यक्ति का सुनवाई का उचित अवसर देकर ही कोई परिवर्तन करना चाहिये, परन्तु उक्त तरमीम में परिवर्तन करते समय न तो प्रार्थी को कोई सूचना दी गई एवं न ही सुनवाई का कोई अवसर दिया गया एवं राजस्व कर्मियों ने बिना मौके पर गये बिना ही उक्त तरमीम की है जो गलत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। उक्त तरमीम बिना खातदारों को सुने बिना एवं बिना उनकी उपस्थिति के की गई जो मौके पर वास्तविक कब्जे के विपरीत होने से दुरूस्त किये जाने योग्य है। अभी हाल ही में क्षेत्र में अप्रार्थी सं. 02 द्वारा ख.नं. 60 की भूमि में ग्रेवल सड़क का कार्य किया जा रहा है। दिनांक 13.06.2024 को प्रार्थी अपनी आराजी पर खरार करने हेतु उक्त भूमि पर गया तो उक्त ग्रेवल सडक बनाने वाले लोग ख.नं. 60 की बजाय प्रर्थी की भूमि ख.न. 118 में भी सडक बनाने

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला-दूदू

लगातार.................3

की बात कर रहे थे। जब प्रार्थी ने उन्हे मना किया तो वे नही माने एवं कहा कि ख.न. 119 गै:मु रास्ता है जिसमें हम ग्रेवल सडक बनायेगें एवं उक्त गलत तरमीम के आधार पर ही ग्रेवल सडक बनाने लगे तो प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड की नकल लेने पटवारी हल्का के पास गया तो प्रार्थी को उक्त गलत तरमीम का ज्ञान हुआ । जिस पर प्रार्थी ने अप्रार्थी स. 01 को उक्त गलत तरमीम दुरूस्त करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया। जिस पर अप्रार्थी ने कार्यवाही करने से मना कर दिया एवं मान्य न्यायालय में कार्यवाही करने के लिये कहा। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। प्रार्थी ग्रामीण परिवेश का सीधा सादा व्यक्ति है। यदि अप्रार्थी ने उक्त वर्तमान गलत तरमीम के आधार पर प्रार्थी की जमीन पर कब्जा कर लिया या ग्रेवल सडक बना दी तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। इसलिये यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक हुआ है। उक्त प्रकरण के निस्तारण का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त हैं।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार उपस्थित आये तथा जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। पैरोकार सरकार ने अपने जवाब के तथ्यों में बताया कि खसरा नंबर 118 रकबा 0.3414 हैक्टेयर किस्म बंजड़ 1 की खातेदारी नरपतसिंह पुत्र देवीसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 118 प्रार्थी की पैतृक भूमि है शेष कथन प्रार्थी से सम्बन्धित है। ख0नं0 118 के लगते हुये खसरा नंबर 119 रकबा 0.1138 हैक्टेयर है। उक्त दोनों की तरमीम अलग–अलग हो रखी है। नक्शा लट्ठा व सैटलमेन्ट के नक्शे के मुताबिक कथन सत्य है। DILRMP के समय तरमीम करते समय खसरा नंबर 118 की तरमीम गलत हो गयी जिसको मुताबिक सैटलमेन्ट नक्शे को दुरूस्त किया जाना उचित है।

प्रार्थना पत्र पर एकतरफा की बहस सुनी गयी। बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि अप्रार्थी संख्या 1 पैरोकार सरकार ने भी अपने जवाब में बताया है कि खसरा नंबर 118 रकबा 0.3414 हैक्टेयर किस्म बंजड़ 1 की खातेदारी नरपतसिंह पुत्र देवीसिंह के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। ख0नं0 118 की पैतृक भूमि है। ख0नं0 118 के लगते हुये खसरा नंबर 119 है। उक्त दोनों की तरमीम अलग–अलग हो रखी है। नक्शा लट्ठा व सैटलमेन्ट के नक्शे के मुताबिक कथन सत्य है। DILRMP के समय तरमीम करते

उपखण्ड अधिकारी
फागी, जिला–दूदू

लगातार 4

(4)

समय खसरा नंबर 118 की तरमीम गलत हो गयी जिसको मुताबिक सैटलमेन्ट नक्शे के किया जाना उचित है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित समझते है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार फागी को आराजी ख0नं0 118 एवं 119 के मध्य की गई तरमीम को उपतहसीलदार नीमेड़ा की रिपोर्ट अनुसार दुरूस्त करने के आदेश दिये जाते है।

निर्णय आज दिनांक 08.07.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

8/7/24.

राकेश कुमार मीना
उपखण्ड अधिकारी
फागी जिला दूदू

सत्यमेव जयते